संख्याः--सी.एम.134 / 15–11–2008–1499(409) / 03

प्रेषकः

वी० एन० गर्ग,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
एस०सी०ई०आर०टी०,
उ०प्र० लखनऊ ।

शिक्षा अनुभाग–11 लखनऊः दिनांकः 29 दिसम्बर, 2008

विषयः-- बी०टी०सी० प्रवेश परीक्षा–2001 की चयन प्रकिया निरस्त कर पुनः प्रवेश परीक्षा का अवसर दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–963 / 15–11–2005–1499(409) / 03, दिनांक 20.10.2005 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 20.10.2005 में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि *"बी०टी०सी० प्रवेश परीक्षा–2001 में दो वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की अलग से प्रदेश स्तर पर परीक्षा कराकर, न्यूनतम 33 प्रतिशत उत्तीर्णांक प्राप्त कर सफल हुए अभ्यर्थियों की परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति कर दी जायें।"*

3– शासनादेश संख्या–963 / 15–11–2005–1499(409) / 03, दिनांक 20.10.2005 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश दिनांक 20.10.2005 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वी० एन० गर्ग)
प्रमुख सचिव।